रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253297
CG-DL-E-22032024-253297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1433]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946
No. 1433]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024

का.आ. 1502(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 30(ई), दिनांक 05 जनवरी 2017 द्वारा झारखंड/उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के कि.मी 199.2 से कि.मी. 543.560 तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-49 के किमी 414.982 से किमी 493.300 (परियोजना की लंबाई 78.318 कि.मी.) तक के चार लेन बिंझाबहल-तेलेबनी खण्ड (जिसे इसके पश्चात 'उक्त खण्ड' कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (टीओटी विधि) हेतु 13.01.2024 को मैसर्स मलयगिरि हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-376, ऊपरी भूमि तल, निर्माण विहार, नई दिल्ली- 110092, (जिसे इसके पश्चात 'कनसेसनायर' कहा गया है) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात उक्त 'करार' कहा गया है) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(ई), तारीख 03.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 15 ई), तारीख 12.01.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (ई), तारीख 12.10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 [सा.का.नि. 778 (ई), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधार ण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (ई), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (ई), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(ई), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (ई), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (ई), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(ई), तारीख 02.12.2016] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(ई), तारीख 14.03.2017], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(ई), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920(ई), तारीख 25.09.2018], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942(ई), तारीख 20.12.2019] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298(ई), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523(ई), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804(ई), तारीख 30.12.2020] के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोली की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना का.आ. 1951 (ई) दिनांक 24 मई 2021 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गईं हैं या करने से लोप करा दी गईं हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा कनसेसनायर के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल लम्बाई 78.318 कि.मी. [जिसमें 71.157 कि.मी. की निवल सड़क लंबाई, 5.274 निवल बाइपास लंबाई और 1.887 कि.मी. की सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 18.870 कि.मी. है] सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है), नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी:-

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी* चार या अधिक लेन के एनएच खंड के लिए शुल्क की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05

बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का स्थान	**लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
उड़ीसा के देवगढ़ जिले में बिदेबाद्कुदार गांव के पास नए एनएच-49 के डिज़ाइन किमी 439.515 पर	71.157 (बाईपास की 5.274 किमी लंबाई और संरचनाओं की 1.887 किमी लंबाई को छोड़कर)	चार अधिक लेनों पर ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाज़ा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

शुल्क प्लाजा का स्थान	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
उड़ीसा के देवगढ़ जिले में बिदेबाद्कुदार गांव के पास नए एनएच-49 के डिज़ाइन किमी 439.515 पर	5.274 (0.196 किमी लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	चार अधिक लेनों पर ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

(10 करोड़ रुपये से कम) वाले बाईपास का ब्योराः-

शुल्क प्लाजा का स्थान	चेनेज से (किमी)	चेनेज तक (किमी)	बाईपास का नाम	कुल लंबाई (किमी)
उड़ीसा के देवगढ़ जिले में बिदेबाद्कुदार गांव के पास नए एनएच-49 के डिज़ाइन किमी 439.515 पर	475.060	480.530	देवगढ़ बाईपास	5.274
कुल लंबाई (किमी)				**5.274**

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
उड़ीसा के देवगढ़ जिले में बिदेबाद्कुदार गांव के पास नए एनएच-49 के डिज़ाइन किमी 439.515 पर	1.887^	18.870	चार अधिक लेनों पर ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^4 लेन संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है:

चेनेज (किमी)	संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
422.385	फ्लाईओवर	0.196
423.074	बड़ा पुल	0.084
429.514	बड़ा पुल	0.082
443.923	बड़ा पुल	0.065
447.260	बड़ा पुल	0.656
448.270	फ्लाईओवर ओएम	0.196
463.665	बड़ा पुल	0.064
464.477	बड़ा पुल	0.080
479.897	फ्लाईओवर	0.196
489.322	बड़ा पुल	0.072
492.435	फ्लाईओवर	0.196
कुल		**1.887**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2023-24 के लिए मासिक पास की दर 330.00/-रूपए (तीन सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की दिनांक से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर का गुणांक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[(नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए
>20% से 40%	चार	

>40% से 60%	छह	लागू शुल्क) x (गुणांक)]
>60% से 80%	आठ	
>80% और अधिक	दस	

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार,प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात रियायत करार के प्रावधान एवं उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते कि शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचएआई/वित्त/टीओटी/2023-24/टीओटी14/शुल्कअधिसूचना/बिंझाबहल-तेलेबानी/ई-234627]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

S.O. 1502(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 30(E), dated the 5th January, 2017, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 199.2 to km 543.560 of NH-6 in the state of Jharkhand / Odisha to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Malayagiri Highways Private Limited, having its registered office at B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi – 110 092, (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), on 13.01.2024 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (ToT mode) of four lane Binjhabahal-Teleibani Section from km 414.982 to km 493.300 (Project length 78.318 km) of National Highway number 49 in the state of Odisha (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017] , The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee

(Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020],and any other amendments till bid due date and in supersession of the Notification Number S.O. No. 1951(E) dated 24th May, 2021 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total length of 78.318 km [including 71.157 km net road length, 5.274 km net bypass length and 1.887 km structures (having length more than 60m) with equivalent length of 18.870 km] (hereinafter called as the "base rate"), on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Toll Plaza	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which Fee is payable
At Design Km 439.515 of New NH-49 near Bideibadkudar village in Deogarh District of Odisha.	71.157 (Excluding 5.274 km length of bypass and 1.887 km length of structure)	100% for four more lane, of the base rates as per Table-I below

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following fee plaza for net bypass length specified for such fee plaza:

Location of fee plaza	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which Fee is payable
At Design Km 439.515 of New NH-49 near Bideibadkudar village in Deogarh District of Odisha.	5.274 (Excluding 0.196 km length of structure)	150% for four more lane, of the base rates as per Table-I below

The details of Bypass (> 10 Cr) are as under:

Location of fee plaza	From Chainage (km)	To Chainage (km)	Name of Bypass	Total Length (km)
At Design Km 439.515 of New NH-49 near Bideibadkudar village in Deogarh District of Odisha.	475.060	480.530	Deogarh Bypass	5.274
Total Length (km)				**5.274**

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of fee plaza	Length of structures (km) of Road Length to be converted into equivalent road length	Total equivalent road length (km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 439.515 of New NH-49 near Bideibadkudar village in Deogarh District of Odisha.	1.887^	18.870	100% for four more lane, of the base rates as per Table-I below

^The details of 4 lane structures (> 60 m length) are as under:-

Chainage (km)	Type of Structure	Length (km)
422.385	Flyover	0.196
423.074	Major Bridge	0.084
429.514	Major Bridge	0.082
443.923	Major Bridge	0.065
447.260	Major Bridge	0.656
448.270	Flyover om	0.196
463.665	Major Bridge	0.064
464.477	Major Bridge	0.080
479.897	Flyover	0.196
489.322	Major Bridge	0.072
492.435	Flyover	0.196
Total		**1.887**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 330.00 (Rupees Three Hundred Thirty only) for the year 2023-24 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of

>20% to 40%	Four	mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and above	Ten	

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/Fin/TOT/2023-24/TOT14/FeeNotification/Binjhabahal-Teleibani/E-234627]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.03.22 17:34:22 +05'30'